



जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(राजस्व शाखा)

(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

पत्रांक.....93(A)/रा०

प्रेषक,

अपर उपायुक्त-सह-
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड, राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक.....11.09.2020.

विषय-

जन वितरण प्रणाली दुकानदार से राशन नहीं मिलने से संबंधित ऑनलाईन शिकायत के संबंध में।

प्रसंग-

ऑनलाईन शिकायत संख्या- 05052020005 एवं इस कार्यालय का पत्रांक- 89(ए)/रा० दिनांक 10.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिकायतकर्ता कन्दारा जामुदा, ग्राम- कुदली बाड़ी, वार्ड नम्बर- 01, चक्रधरपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार से राशन नहीं मिलने से संबंधित ऑनलाईन शिकायत से संबंधित जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय का पत्रांक- 89(ए)/रा० दिनांक 10.09.2020 के द्वारा पूर्व में भेजी गई थी। जिसमें आपके द्वारा e-mail के माध्यम से सूचित किया गया कि अनुलग्नक की प्रति पढ़ पाना संभव नहीं हो रहा है।

अतः पुनः अनुलग्नक की स्वच्छ प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।
कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर उपायुक्त-सह-
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

आपका आदेश प्रतिक्रिया के संबंध में - 14/09/2020

सेवा
आपका आदेश प्रतिक्रिया
- 14/09/2020

पृष्ठ संख्या - 228
दिनांक - 14/09/2020

श्रीमती सुश्री

19/9/2020

सौ. सुश्री सुश्री
आपका आदेश प्रतिक्रिया
प्राप्त की (दिनांक) - 14/09/2020
विषय - आप (आपका आदेश) के संबंध में प्रतिक्रिया के संबंध में प्रतिक्रिया
प्राप्त - आपका पत्र सं. 105/105/20 (दिनांक) - 14/09/2020

महोदय,
उपरोक्त विषय आदेश के संबंध में सुनिश्चित रूप से सुनिश्चित है कि जिसका उद्देश्य कठोरता प्रस्तुत किया जाने जा रहा है। सुदली बाड़ी बाड़ी - 1001 - नरसिंहापुर शहरी क्षेत्र एम.एन.डी. कार्ड में 20200 6100 695 का जमान का प्रवेश किया। बाँध में पंजा गंगा कि कार्डवाली कठोरता प्रस्तुत की माह अक्टूबर 2020 तक 15% चानल एवं 10% गैर चानल का PG M & N का 15% चानल एवं 10% गैर चानल में किराना कुकाना का कार्ड कर दी गई है। कार्डवाली के प्रत्येक माह आठमास जमान की आश्चर्य की गई है। कार्डवाली के प्रत्येक माह जमान का कि काम से बाहर जाने के कारण एवं आधार लिंक नहीं रहने के कारण एफ.डी. मशीन से चानल नहीं निकल रहा था। अब आधार लिंक हो गया है तथा प्रत्येक माह कुकाना चानल की आश्चर्य कर है। अब कोई शिकायत नहीं है।

सुचनाएं प्रेषित।

निष्ठा भाजन,
अधीनस्थ
प्रमुख आश्चर्य परामर्शिका,
चक्रधरपुर।

15/9/2020

प्रमाण आधारित पदाधिकारी का कार्यालय, चंडीगढ़

श्रेष्ठ,
प्रमाण आधारित पदाधिकारी,
चंडीगढ़।

पत्रांक - 328
दिनांक - 3/9/2020

सौभाग्य,

उपर उपोमुख - सिंह -

जिला मिस्त्रियर निगारा पदाधिकारी,
पश्चिमी विंडम, पार्कनासा।

विषय - जन. निगारा प्रणाली दुकानदार से राशन कार्ड मिलने
के संबंध में जांच प्रतिवेदन।

प्रमाण - शापका पत्रांक 1052(9)/शां दिनांक 01.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय अन्तर्गत सूचित करने हुए करना है
कि मिस्त्रियर कुन्दरा जापुरा पिरा कुन्दरा जापुरा जम-
कुदली बाड़ी बाड़ी नं० 01 चंडीगढ़ शहरी क्षेत्र 14 राशन
कार्ड से 2020 6100695 का राशन कार्ड जांच किया।
जांच में पता चला कि कार्डधारी कुन्दरा जापुरा को
माह अगस्त 2020 तक 15kg चावल एवं 10kg जैतून तथा
PGMKAय का 15kg चावल एवं 10kg जैतून मुफ्त में निगारा
दुकानदार द्वारा दे दी गई है। कार्डधारी को प्रत्येक माह
आवश्यक सामान की आरज़ी की गई है। कार्डधारी से
शेडलाइ में पता चला कि काम से बाहर जाने के कारण
एवं आधार लिंक नहीं रहने के कारण एफएस मशीन से
चावल नहीं निकल रहा था। अतः आधार लिंक हो गया
है तथा प्रत्येक माह दुकानदार चावल की आरज़ी करवा
है। अतः कोई मिस्त्रियर नहीं है।
सूचनाय प्रेषित।

निष्ठा भाजन,
प्रमाण आधारित पदाधिकारी,
चंडीगढ़।

APC